भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्‍कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1211

उत्तर देने की तारीखः 20.1**2**.201**8**

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सम्बद्धता के

लिए नये प्रावधान

1211. श्रीमती विजिला सत्यानंतः

**क्या** मानव संसाधन विकास मंत्री **यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सम्बद्धता के लिए नए प्रावधान फीस संरचना का पूर्ण प्रकटीकरण करना अनिवार्य बनाते हैं और कोई भी छिपे हुए प्रभार लगाने से उन्हें रोकते हैं;**

**(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;**

**(ग) क्या यह भी सच है कि नए उप-नियम पूर्व में अपनाई जा रही अत्यधिक जटिल प्रक्रियाओं से प्रक्रियाओं के डुप्लिकेशन को रोकने पर आधारित सरलीकृत प्रणाली की ओर जाने के बड़े बदलाव के द्योतक हैं; और**

**(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है**?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सत्‍य पाल सिंह)

**(क) और (ख): फीस ढांचे और फीस में संशोधन संबंधित राज्‍य सरकारों/संघ राज्‍य क्षेत्रों के अधिनियमों और विनियमों द्वारा विनियमित होते हैं। सीबीएसई संबंद्धन उपनियमों के नियम 7.3 में यह प्रावधान है कि “फीस राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र के शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित शीर्षों के तहत ली जाएगी”।**

**(ग) और (घ): पुन: संशोधित संबद्धता उप-नियम, पूर्व में अपनाई जा रही अत्‍यधिक जटिल प्रक्रिया से एक सरलीकृत प्रक्रिया की ओर निदर्शनात्‍मक बदलाव दर्शाते हैं; जो अब प्रक्रियाओं की पुनरावृत्‍ति को रोकने, तीव्र, पारदर्शा और बाधा-रहित प्रक्रियाविधियों तथा सीबीएसई के साथ ‘ईज ऑफ डुइंग बिजनेस’ सुनिश्‍चित करने पर आधारित है। समूची संबंद्धन प्रक्रिया ऑनलाईन पूरी की जाएगी और तात्कालिक संचार के साथ समेकित की जाएगी।**

**संशोधित संबंद्धन उपनियमों में किए गए मुख्‍य परिवर्तनों में कुछ निम्‍नलिखित हैं:**

**1. मौजूदा प्रावधानों के अनुसार संबंद्धन के लिए आवेदन करते हुए स्‍कूलों से 12-14 दस्‍तावेज अपलोड करने की अपेक्षा थी। अब स्‍कूल के आवेदन पर जिला शिक्षा अधिकारी के एक ही प्रमाणपत्र तथा एक शपथ पत्र के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।**

**2. स्‍कूलों के निरीक्षण की प्रक्रिया शिक्षा की गुणवत्‍ता पर केंद्रित पद्धति के आधार पर परिणाम आधारित होगी।**

**3. भूमि के माप का एकड़ से मीटरिक प्रणाली में परिवर्तित करते हुए मानकीकरण**

**4. संबंद्धन की आवश्‍यकताओं को स्‍पष्‍ट रूप से अनिवार्य, संबंद्धन पश्‍चात् और सामान्‍य के रूप में परिभाषित किया गया है। अब स्‍कूलों से संबंद्धन के पश्‍चात् परन्‍तु सत्र प्रारंभ होने से पहले शिक्षकों की भर्ती इत्‍यादि जैसे कुछ मापदंड पूरे करना आवश्‍यक होगा।**

**5. विभिन्‍न अनुरोधों पर कार्रवाई में किसी परिवर्तन से बचने के लिए स्‍कूल के स्‍थानान्‍तरण, स्‍कूल/सोसायटी के नाम में परिवर्तन, किसी सोसायटी से स्‍थानान्‍तरण और स्‍कूल को बंद किए जाने इत्‍यादि के सुपरिभाषित प्रावधान मौजूद हैं।**

**6. अरूणाचल प्रदेश, सिक्‍किम और अंडमान तथा निकोबार/लक्षद्वीप द्वीप समूह के राज्‍यों के छितरे भूमि संसाधनों के साथ कठिन क्षेत्र होने के नाते उनके लिए भूमि की आवश्‍यताओं में मेट्रों शहरों के समकक्ष छूट दी जाती है।**

**7. लीज की अवधि को आवेदन की तारीख पर केवल 5 वर्ष के स्‍वामित्‍व गारंटी के साथ 30 वर्ष से घटाकर 15 वर्ष कर दिया गया है।**

**8. पर्याप्‍त दंडात्‍मक प्रावधानों के साथ विभिन्‍न पदाधिकारियों की जिम्‍मेदारियों को स्‍पष्‍ट रूप से परिभाषित किया गया है।**

\*\*\*\*\*